

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/58/2019

प्रवेश तिथि 31.10.19

**अपीलार्थी**  
श्री हंसराज शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद  
ग्राम-जीवनसिंहपुरा, तहसील-मुण्डावर  
जिला-अलवर (राज.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
निर्णय



दिनांक: 02.12.2019

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन-पत्र दिनांक: 27.08.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर श्री गरीबनाथ आश्रम में नियुक्त रिसीवर संबंधी जानकारी मय दस्तावेज चाही गई थी। उक्त वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक: 10.10.19 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांक: 11.11.19 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। समयान्तर में जवाब प्राप्त नहीं होने पर बार-बार नोटिस जारी कर प्रत्यर्थी को तलब किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 27.08.19 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ज में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।
8. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध वांछित सूचनाएं नियमानुसार स्पष्ट रूप से अभिप्रमाणित कर निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे एवं अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधीनस्थ कर्मियों के विरुद्ध सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रियाजनित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
9. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

*U*  
02-12-19  
(भगवतसिंह देवल)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज0)